



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 9, गुरुवार, शाके 1932—अप्रैल 29, 2010
Vaisakha 9, Thursday, Saka 1932—April 29, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2010

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2010:—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में “दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2010 (एक्ट नं. 12 ऑफ 2010)” का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 12)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3 का संशोधन.—राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और

पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति “अठारह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तेईस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ii) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति “सोलह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “इक्कीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 13) के प्रारंभ की तारीख से” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अगस्त, 2009 से” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3—क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 3—क में,—

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अगस्त, 2009 से” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “चौदह हजार रुपये प्रतिमास” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये प्रतिमास” प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से

पांच हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009 से दस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 4-क में विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

“(1) 1 अगस्त, 2009 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में,—

- (i) निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पांच हजार रुपये की पेंशन;
- (ii) निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, छह हजार रुपये की पेंशन;
- (iii) निरन्तर या अन्यथा दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार रुपये की पेंशन;
- (iv) निरन्तर या अन्यथा पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, आठ हजार रुपये की पेंशन;
- (v) निरन्तर या अन्यथा बीस वर्ष से अधिक किन्तु पच्चीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, नौ हजार रुपये की पेंशन;
- (vi) निरन्तर या अन्यथा पच्चीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, दस हजार रुपये की पेंशन;
- (vii) निरन्तर या अन्यथा तीस वर्ष से अधिक किन्तु पैंतीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, ग्यारह हजार रुपये की पेंशन;
- (viii) निरन्तर या अन्यथा पैंतीस वर्ष से अधिक किन्तु चालीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, बारह हजार रुपये की पेंशन;

- (ix) निरन्तर या अन्यथा चालीस वर्ष से अधिक किन्तु पैंतालीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, तेरह हजार रुपये की पेंशन;
- (x) निरन्तर या अन्यथा पैंतालीस वर्ष से अधिक किन्तु पचास वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, चौदह हजार रुपये की पेंशन;
- (xi) निरन्तर या अन्यथा पचास वर्ष से अधिक किन्तु पचपन वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पन्द्रह हजार रुपये की पेंशन;
- (xii) निरन्तर या अन्यथा पचपन वर्ष से अधिक किन्तु साठ वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सोलह हजार रुपये की पेंशन;
- (xiii) निरन्तर या अन्यथा साठ वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सत्रह हजार रुपये की पेंशन, प्रतिमास संदत्त की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति की ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन का हकदार होने के साथ ही किसी भी विधि के अधीन या अन्यथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी

संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद या किसी अन्य राज्य विधान-मण्डल या दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी पेंशन का भी हकदार होता है, तो,—

- (क) जहां पेंशन की रकम, जिसके लिए वह ऐसी किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, सत्रह हजार रुपये प्रतिमास के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और
- (ख) जहां पेंशन की रकम, जिसके लिए वह ऐसी किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, सत्रह हजार रुपये प्रतिमास से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त, इस उप-धारा के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा तथापि इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि दोनों पेंशनों का योग सत्रह हजार रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण I.—इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.—यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.—इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कुल वर्षों की संख्या की संगणना करने में किसी व्यक्ति की राजस्थान विधान सभा की सदस्यता की अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित की जायेगी जिस अवधि में वह संसद अथवा भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा का सदस्य रहा हो।

स्पष्टीकरण IV.—इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है :—

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या
- (ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या
- (iv) राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या
- (v) लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य।

स्पष्टीकरण V.—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण VI.—इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हों, के अध्याधीन 1 अप्रैल, 2010 से,—

- (क) चिकित्सीय उपचार के लिए किसी व्यय के पुनर्भरण के लिए उसी के समतुल्य का हकदार होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग की सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुज्ञेय है; और
- (ख) दो निःशुल्क अनन्तरणीय पासों का भी हकदार होगा जो उसे और उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा चाहे जिस किसी भी पथ पर यह संचालित हो, ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के

अध्यधीन जो विहित की जायें, किसी भी समय यात्रा का हकदार बनायेंगे :

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति तत्समय पूर्वोक्त सुविधाओं में से किसी के लिए भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद या किसी अन्य राज्य विधान-मण्डल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार हो तो वह उस सीमा तक उक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा।”।

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग और 4-घ का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-ख के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

“4-ग. भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन.—किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी 1 अगस्त, 2009 से या ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु—

(i) यदि इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी भी अन्य स्रोत से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, तो,—

(क) जहां अन्य स्रोत से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और

(ख) जहां अन्य स्रोतों से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन की रकम से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से ऐसे वेतन या पेंशन

के अतिरिक्त इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, तथापि, इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन और अन्य स्रोत से वेतन या पेंशन, कुल मिलाकर दोनों इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन के रूप में संदेय अधिकतम रकम से अधिक नहीं होंगी;

- (ii) यदि ऐसे सदस्य के पति या पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस धारा के अधीन कोई पेंशन संदत्त नहीं की जायेगी; और
- (iii) जहां ऐसे सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, वहां इस धारा के अधीन संदेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

4-घ. भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा.-(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, 1 अप्रैल, 2010 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 की विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

“(1) 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक को बाईस हजार रुपये प्रति मास और सरकारी उप मुख्य सचेतक को बीस हजार रुपये प्रति मास वेतन संदत्त किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक और

सरकारी उप मुख्य सचेतक को बीस हजार रुपये प्रति मास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।”।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.—

मूल अधिनियम की धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“(1) विपक्ष के नेता को 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से, जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करता है, जो भी बाद में हो, बाईस हजार रुपये वेतन और बीस हजार रुपये सत्कार भत्ता प्रति मास संदत्त किया जायेगा।”।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.—

मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति “चार सौ रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सात सौ रुपये” और विद्यमान अभिव्यक्ति “पांच सौ रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “आठ सौ रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.—

मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-ख में,—

(क) विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जायेंगी और 1 अप्रैल, 2010 से प्रतिस्थापित हुई समझी जायेंगी, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, 1 अप्रैल, 2010 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम है वहां, एक लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई

रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय सदस्य के रूप में ऐसी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।"; और

(ख) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक कलैण्डर वर्ष के भीतर पचहत्तर हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी एक वित्तीय वर्ष के भीतर एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2010 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-घ का संशोधन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-ग के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 के पूर्व निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2010 से अन्तःस्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात्:—

"8-घ. सदस्यों को सचिवालयिक सहायता.—प्रत्येक सदस्य को, राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन सं. 9 से अनधिक की ग्रेड वेतन में वेतन आहरित करने वाला एक कर्मचारी सचिवालयिक सहायक के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा या, सदस्य के विकल्प पर, सचिवालयिक सहायक के बदले में सदस्य को बीस हजार रुपये प्रतिमाह की एकमुश्त राशि संदत्त की जायेगी।"

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 29, 2010

No. F. 2 (22) Vidhi/2/2010.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010 and is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND
PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2010
(Act No. 12 of 2010)**

[Received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a), for the existing expression “eighteen thousand rupees”, the expression “twenty three thousand rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009;

(ii) in clause (b), for the existing expression “sixteen thousand rupees”, the expression “twenty one

thousand rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009; and

- (b) in sub-section (2) for the existing expression “the date of the commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005)”, the expression “1st August, 2009” shall be substituted.

3. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—In section 3-A of the principal Act,-

- (a) for the existing expression “the date of the commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2006 (Act No. 12 of 2006)”, the expression “1st August, 2009” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “fourteen thousand rupees”, the expression “twenty thousand rupees” shall be substituted.

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—In section 4 of the principal Act, for the existing expression “five thousand rupees per mensem with effect from the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2006 (Act No. 12 of 2006)”, the expression “ten thousand rupees per mensem with effect from 1st August, 2009” shall be substituted.

5. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—In section 4-A of the principal Act, for the existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely :-

“(1) With effect from 1st August, 2009 there shall be paid per mensem to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly-

- (i) for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees five thousand;
- (ii) for any period beyond five years but upto ten years, whether continuous or not, a pension of rupees six thousand;

- (iii) for any period beyond ten years but upto fifteen years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand;
- (iv) for any period beyond fifteen years but upto twenty years, whether continuous or not, a pension of rupees eight thousand;
- (v) for any period beyond twenty years but upto twenty five years, whether continuous or not, a pension of rupees nine thousand;
- (vi) for any period beyond twenty five years but upto thirty years, whether continuous or not, a pension of rupees ten thousand;
- (vii) for any period beyond thirty years but upto thirty five years, whether continuous or not, a pension of rupees eleven thousand;
- (viii) for any period beyond thirty five years but upto forty years, whether continuous or not, a pension of rupees twelve thousand;
- (ix) for any period beyond forty years but upto forty five years, whether continuous or not, a pension of rupees thirteen thousand;
- (x) for any period beyond forty five years but upto fifty years, whether continuous or not, a pension of rupees fourteen thousand;
- (xi) for any period beyond fifty years but upto fifty five years, whether continuous or not, a pension of rupees fifteen thousand;
- (xii) for any period beyond fifty five years but upto sixty years, whether continuous or not, a pension of rupees sixteen thousand;
- (xiii) for any period beyond sixty years, whether continuous or not, a pension of rupees seventeen thousand :

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any

salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period :

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section :

Provided further also that where any person entitled to pension under this section is also entitled to any pension as the President, Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory or as Member of Parliament or of any other State Legislature or the Metropolitan Council of Delhi or from the Central Government, or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority, under any law or otherwise, then, –

- (a) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is equal to or more than seventeen thousand rupees per mensem such person shall not be entitled to any pension under this sub-section; and
- (b) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is less than seventeen thousand rupees per mensem, such person shall be entitled to receive pension under this sub-section in addition to such other pension subject, however, that the aggregate of both the pension shall not exceed seventeen thousand rupees per mensem.

Explanation I.—In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period

during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.—If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.—In computing the aggregate number of years for the purpose of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Member of Parliament or as a Member of the Legislative Assembly of erstwhile State of Ajmer shall be included in the period for which a person has served as a Member of the Rajasthan Legislative Assembly.

Explanation IV.—For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

- (i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or
- (ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or
- (iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or
- (iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or
- (v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State or as a Member of the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966.

Explanation V.—In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation VI.—In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

(2) With effect from 1st April, 2010, every person entitled to pension under sub-section (1), subject to rules, if any, made in this behalf by the State Government,-

- (a) shall be entitled to reimbursement of any expenditure on account of medical treatment equivalent to that permissible to the retired officers of class I services of the State Government; and
- (b) shall also be entitled to two free non-transferable passes which would entitle him and any other person accompanying him to travel at any time by the Rajasthan State Road Transport Corporation Service on whichever routes it operates, in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that where such person is also entitled to any of the aforesaid facilities for the time being as the President, Vice-President, or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory or as Member of Parliament or of any other State Legislature or the National Capital Territory of Delhi or from the Central Government or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority, under any law or otherwise, he shall not be entitled to that facility to that extent."

6. Insertion of section 4-C and 4-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—After the existing section 4-B and before the existing section 5 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

“4-C. Family pension to the spouse of the Ex-member.—The spouse of a deceased Ex-member shall be

entitled with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date of death of such member, whichever is later, to receive per mensem a family pension equal to rupees two thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:

Provided that –

- (i) if the person entitled to a family pension under this section is in receipt of any salary or pension from any other source, then,-
 - (a) where the amount of salary or pension being received from other source is equal to or more than the family pension receivable under this section, such person shall not be entitled to any pension under this section; and
 - (b) where the amount of salary or pension being received from other source is less than the amount of family pension receivable under this section, such person shall be entitled to receive family pension under this section in addition to such salary or pension from other source subject, however, that the aggregate of both the family pension under this section and the salary or pension from other source shall not exceed the maximum amount payable under this section as family pension;
- (ii) if the spouse of such member remarries, he or she shall not be paid any pension under this section; and
- (iii) where more than one wife has survived such member, the amount of family pension payable under this section shall be paid to such wives in equal shares.

4-D. Free travelling facility to Ex-members.–(1)

With effect from 1st April, 2010, every person, who has

served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees twenty five thousand in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.”.

7. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—In section 5 of the principal Act, for the existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

“(1) There shall be paid, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of twenty two thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a salary of twenty thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip.

(2) In addition to the salary payable under sub-section (1), there shall be paid, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, to the Government Chief Whip and the Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.”.

8. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—For the existing sub-section (1) of section 6 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(1) There shall be paid to the Leader of the Opposition, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of twenty two thousand rupees and a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.”.

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act, for the existing expression “four hundred rupees”, the expression “seven hundred rupees” and for the existing expression “five hundred rupees”, the expression “eight hundred rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009.

10. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In the existing section 8-B of the principal Act,-

- (a) for the existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2010, namely:-

“(1) Every member shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees one lakh in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

(2) Where the total amount of reimbursement received in a financial year under sub-section (1) is less than rupees one lakh, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh shall be carried forward in next financial year or years and the member shall be entitled to utilize such amount at any time before expiry of his term as member.”; and

- (b) in proviso to sub-section (3), for the existing expression “ rupees seventy five thousand within a calendar year”, the expression “rupees one lakh within a financial year” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2010.

11. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression “twenty thousand”, the expression “thirty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009.

12. Insertion of section 8-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.—After the existing section 8-C and before the existing section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st April, 2010, namely:-

“8-D. Secretarial Assistance to members.- Every member shall be provided with an employee, drawing pay in a Grade Pay not exceeding the Grade Pay No. 9 as specified in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, by the revenue department of the State Government as secretarial assistance or, at the option of the member, a lump sum amount of twenty thousand rupees per mensem shall be paid to the member in lieu of the secretarial assistance.”.

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.